20 लाख आपत्तियों का नहीं हुआ निपटारा

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

सूबे में सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना में आई करीब 20 लाख आपत्तियों का अब तक निपटारा नहीं हो सका है। जनगणना की अंतिम सूची का प्रकाशन नहीं होने से खाद्य सुरक्षा अधिनियम को भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका है। जबकि अधिनियम को पहली फरवरी को ही लागू कर दिया गया था।

इस जनगणना के आधार पर ही खाद्य सुरक्षा कानून के लाभान्वितों की सूची को अंतिम दिया जाना है। सूत्रों के मुताबिक जनगणना के बाबत 38 जिलों से 44 लाख 64 हजार 551 आपत्तियां आई थीं। इनमें लगभग 25 लाख को एनआईटी सर्वर पर लोड किया गया है। उनके निपटारे की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी ओर ग्रामीण विकास विभाग का दावा है कि 20 लाख आपत्तियों का निपटारा हो चुका है। इनके नाम एक माह के अंदर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चयनित लाभुकों की सूची में आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर निपटारे की प्रक्रिया लंबे समय तक बाधित रही। इससे खाद्य सुरक्षा कानून का कार्यान्वयन भी चार माह तक लटक गया। नतीजतन सूबे में हजारों एपीएल, बीपीएल व अंत्योदय योजना के लाभुकों के नाम भी नई सूची में गडमड हो गए। चार लाख 12 हजार 771 लोगों के नाम रद्द कर दिए गए हैं। मुख्य शिकायत है कि गरीबों-भूमिहीनों के नाम बड़ी संख्या में सूची से हटाए गए।

आपत्तियों की जांच को पदाधिकारी नियुक्त

सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना में आई आपत्तियों को तीव्रता से निष्पादित किया जा रहा है। अभी 19 लाख आवेदनों का निपटारा बाकी है। खाद्य सुरक्षा कानून के लाभुकों के नाम इसी सूची के आधार पर लिए जाएंगे।
- नीतीश मिश्र, ग्रामीण विकास व समाज कल्याण मंत्री

पदाधिकारियों के नाम	आवंटित जिला
मिथिलेश कुमार सिंह, अपर सचिव	मधुबनी
प्रमोद कुमार बिहारी, विशेष सचिव	जहानाबाद
महेन्द्र भगत, उप सचिव	अररिया
संजय कुमार सिंह, उप सचिव	कटिहार
राजीव कुमार, परियोजना पदाधिकारी	बक्सर
संजय कृष्ण—विशेष कार्य पदाधिकारी	पूर्वी चंपारण
कुमारी सीमा—विशेष कार्य पदाधिकारी	पटना
अभ्येन्द्र मोहन—विशेष कार्य पदाधिकारी	पूर्णियां
कुमार सिद्धार्थ—विशेष कार्य पदाधिकारी	जमुई
मनोज कुमार—विशेष कार्य पदाधिकारी	नालंदा
अनिल कुमार सिंहा—विशेष कार्य पदाधिकारी	समस्तीपुर
कनक बाला—विशेष कार्य पदाधिकारी	वैशाली
तुलसी राम— कार्यपालक अभियंता	सारण

हिन्दुस्तान | शनिवार दिनांक 31-5-14 पृष्ठ-8